परिशिष्ट-D

R-750
18-2-16

अ0शा0 डीजी परिपत्र संख्याः 8 /2016

जावीद अहमद
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक :फरवरी 16, 2016

विषयः- 03 से 08 वर्ष तक के गुमशुदा बच्चे की 4 माह तक बरामदगी न होने की दशा में पंजीकृत अभियोग की विवेचना प्रदेश के 35 जनपदों में स्थापित किये गये एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को हस्तानान्तरित किये जाने के संबंध में उनका क्षेत्राधिकार निर्धारित किये जाने विषयक।

प्रिय महोदय,

कृपया इस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः12/2013 दिनांक 11.4.2013 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लिखित **शीर्षक-गुमशदुा बच्चों के मुकदमों की विवेचना के बिन्दु**-17 में यह निर्देश दिया गया है कि वे सभी प्रकरण जहॉं पर 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे चार माह तक बरामद नहीं होते है उनकी विवेचना जनपदीय क्राइम ब्रांच के अन्तर्गत स्थापित एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को हस्तानांतरित की जायेगी। पुलिस अधीक्षक(अपराध) उन विवेचनाओं को अपने निकट पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करेगें। परन्तु प्रदेश के जिन जनपदों में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) स्थापित नहीं है, उन जनपदों की ऐसी विवेचनाओं को किस जनपद के एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को हस्तानांतरित की जायेगीं, इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है।

2. अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुमशुदा बच्चों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदेश के जनपदों में गुमशुदा बच्चों से सम्बन्धित पंजीकृत प्रकरणों में ऐसे बच्चे जो 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के है, जिनकी बरामदगी 04 माह तक नहीं हुई है तथा उन जनपदों में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) स्थापित नहीं है, उन जनपदों के प्रकरणों की विवेचनाओं को प्रदेश के निम्नलिखित 35 जनपदों में स्थापित एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को हस्तानांतरित किये जाने हेतु उनका क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित किया जाता हैः-

क्र0सं0	जनपद का नाम जहॉं एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) स्थापित है	क्षेत्राधिकार निर्धारित किये जाने वाले जनपद का नाम
1	हरदोई	
2	खीरी	
3	लखनऊ	रायबरेंली, अमेठी, सुलतानपुर
4	सीतापुर	
5	उन्नाव	
6	बाराबंकी	फैजाबाद, अम्बेडकरनगर
7	मेरठ	
8	बागपत	
9	गाजियाबाद	हापुड़
10	गौतमबुद्धनगर	बुलन्दशहर

DySP
Pl. inform Home Dept abt it also.
18/2/16

11	मुजफ्फरनगर	सहारनपुर, शामली
12	इलाहाबाद	बाँदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़
13	आगरा	मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा
14	फिरोजाबाद	मैनपुरी, फतेहगढ़
15	गोरखपुर	देवरिया
16	कुशीनगर	
17	महाराजगंज	
18	बस्ती	संतकबीरगनर
19	सिद्धार्थनगर	
20	बलरामपुर	
21	बहराइच	गोण्डा
22	श्रावस्ती	
23	आजमगढ़	
24	बलिया	
25	मऊ	
26	वाराणसी	गाजीपुर, चंदौली, संतरविदासनगर(भदोही), मिर्जापुर, सोनभद्र
27	जौनपुर	
28	बिजनौर	अमरोहा
29	मुरादाबाद	सम्भल
30	बरेली	रामपुर
31	बदायूँ	कासगंज
32	शाहजहाँपुर	
33	पीलीभीत	
34	कानपुर नगर	कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, औरैया
35	झाँसी	हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, जालौन

3. अतः आप अपने जनपद में गुमशुदा बच्चों से सम्बन्धित पंजीकृत समस्त अभियोगों कीं तत्काल स्वयं समीक्षा कर लें तथा जो अभियोग 03 वर्ष से 08 वर्ष तक के बच्चों से सम्बन्धित पंजीकृत हों तथा उनकी बरामदगी 04 माह तक नहीं हुई हो उन सभी अभियोगों से सम्बन्धित प्रकरणों की विवेचनायें अपने जनपद के क्षेत्राधिकार वाले एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को हस्तानांतरित कर प्रकरण से सम्बन्धित बच्चों की बरामदगी व अभियोगों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

16.2.16

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, **नोडल अधिकारी एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट,** उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।